



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 14.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



क्षेत्राधिकारी चरखारी द्वारा थाना चरखारी का किया गया औचक निरीक्षण –



आज दिनांक 14.09.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री मती सुधा सिंह के निर्देशन पर क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र द्वारा थाना चरखारी का निरीक्षण किया गया, औचक निरीक्षण के दौरान सर्वप्रथम महिलाओं एवं बालिकाओं हेतु संचालित मिशन शक्ति हेल्प डेस्क का निरीक्षण कर रजिस्टर का अवलोकन कर मौजूद थाना चरखारी को महिलाओं एवं बालिकाओं की समस्याओं को शीर्ष प्राथमिकता देते हुये जल्द निस्तारण किये जाने सम्बन्धी आवश्यक निर्देश दिये।

इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी द्वारा थाना कार्यालय सीसीटीएनएस, सम्पत्ति गृह, मालखाना, थाना भोजनालय व निर्माणाधीन बिल्डिंग का निरीक्षण किया गया, थाना स्थानीय के महिला उत्पीडन रजिस्टर एससी एसटी एक्ट रजिस्टर अपराध रजिस्टर व ग्राम अपराध रजिस्टर मिशन शक्ति रजिस्टर आदि का



अवलोकन किया गया, निरीक्षण के दौरान कार्यालय व थाना परिसर व बैरिक में साफ सफाई के आदेश निर्देश दिये गये व थाना स्थानीय पर प्रचलित बीट पुलिस प्रणाली के संबंध में सभी बीट पुलिस आफिसर्स को आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत संबंधित बीट में शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु व विवेचकों को विवेचनायें अनावश्यक रूप से लम्बित न रखने के कड़े निर्देश दिये गये।

इस अवसर पर प्रभारी निरीक्षक चरखारी श्री शशि कुमार पाण्डेय सहित थानाहाजा के अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 14.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



एण्टीरोमियो टीम व महिला बीट पुलिस अधिकारी द्वारा गांव-गांव भ्रमण कर महिलाओं/बालिकाओं को महिला सशक्तिकरण संबंधी अधिकारों तथा साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया



महिलाओं/बच्चियों के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधो एवं उन पर होने वाले उत्पीड़न के रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान “मिशन शक्ति फेज-3” के तहत आज दिनांक **14.09.2021** को पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में महिला बीट पुलिस अधिकारी व अन्य पुलिसकर्मियों के साथ विभिन्न ग्रामों में चौपाल/कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

जिसमें महिलाओं/बालिकाओं को “मिशन शक्ति फेज-3” के तहत सार्वजनिक स्थलो जैसे- चौराहे, बाजार, कॉलेज, कोचिंग संस्थान व अन्य सार्वजनिक स्थलों को असामाजिक तत्वो से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओ को रोकने के लिये जागरूक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/1090 वूमेन पावर लाइन /181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/155260 साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारीयाँ दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानो में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला कर्मी द्वारा महिलाओ की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हैल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवैसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 14.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



चरखारी पुलिस टीम द्वारा अवैध तमंचा सहित अभियुक्त को किया गिरफ्तार



आज दिनांक 14/09/2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री

उमेशचन्द्र के कुशल नेतृत्व में चलाए जा रहे अवैध शराब/जुआ/अवैध शस्त्र बरामदगी अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक श्री शशि कुमार पाण्डेय द्वारा गठित टीम ने 01 नफर अभियुक्त सतीश राजपूत पुत्र हरिश्चन्द्र उम्र करीब 20 वर्ष नि. ग्राम बल्लाय थाना खरेला जिला महोबा को कस्बा चरखारी से गिरफ्तार किया तथा **अभियुक्त के कब्जे से एक अदद 315 बोर तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद** होना जिसके विरुद्ध थाना स्थानीय पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए **मु.अ.स. 236/2021 धारा 3/25 A ACT पंजीकृत** किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ०नि० विनोद सिंह
- 2.उ.नि. मोबीन अली
- 3.का० बृजेश कुमार
4. का. दीपक मौर्या ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

सतीश राजपूत पुत्र हरिश्चन्द्र उम्र करीब 20 वर्ष नि. ग्राम बल्लाय थाना खरेला जिला महोबा ।



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 14.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



जनपदीय पुलिस द्वारा जनपद में पैदल गस्त करके करबे में की गई संदिग्धों की चेकिंग

शराब कि दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर **42 ई-चालान** किये गये तथा कोविड नियमों के उल्लंघन पर **12 व्यक्तियों से 1700 ₹0** वसूला गया।



आज दिनांक 14.09.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद में शान्ति/कानून-व्यवस्था के मद्देनजर समस्त थानों द्वारा अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड, ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करके संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग की गई तथा सुरक्षा के दृष्टिगत मन्दिरों में पुलिस तैनात किया गया है, साथ ही लोगों को कोविड संक्रमण की तीसरी लहर के प्रति सचेत करते हुए मास्क का प्रयोग व 02 गज की दूरी सहित कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 14.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



Mahoba Police